UPKU010012582022

न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,एफ०टी०सी०–II, कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

उपस्थितः–किरन गौंड़, एच०जे०एस०–U.P.1857

सत्र परीक्षण संख्या– 195/2022

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी।

बनाम

मो० नाजिम अशर्फी बउम्र 26 वर्ष पुत्र अकील अशर्फी,
साकिन–मलिकपुर कड़वा, थाना–कटुआ, जनपद– कटिहार, बिहार।

.....अभियुक्त।

मु०अप०सं०– 296/2021,
धारा–363,366 भा०दं०सं०,
थाना–सेवरही,
जनपद–कुशीनगर।

निर्णय

1– प्रस्तुत मामला मुकदमा अपराध संख्या–296/2021, धारा–363,366 भा०दं०सं०, थाना–सेवरही, जिला–कुशीनगर का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, जिसे विचारण हेतु विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.03.2022 को पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा मुन्नी खातून द्वारा दिनांक 22.12.2021 को समय 14:34 बजे थाना–सेवरही, जनपद–कुशीनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि "निवेदन है कि मैं प्रार्थिनी मुन्नी खातून पत्नी नेशार, निवासी–पिपरा अगरवाँ, थाना–सेवरही, जनपद–कुशीनगर की निवासिनी हूँ। मेरी पुत्री गुलनाज उम्र 14 वर्ष गाँव के ही मदरसे में कक्षा 6 में पढ़ती है। उसी मदरसे का पढ़ाने वाला शिक्षक मोहम्मद नाजिम अशर्फी पुत्र अकील अशर्फी निवासी–मलिकपुर, थाना– कदवा, जनपद– कटिहार, राज्य–बिहार शादी का झांसा देकर दिनांक 21.12.2021 को मदरसे से ही बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। काफी खोजबिन के बाद भी कुछ पता नहीं चला थक हार कर थाने पर सूचना देने आयी हूँ।"

3– वादिनी मुकदमा **मुन्नी खातून** की उक्त तहरीरी सूचना के आधार पर थाना–सेवरही, जनपद–कुशीनगर में अभियुक्त मो० नाजिम अशर्फी के विरूद्ध मु०अप०सं०–296/2021, धारा– 363,366 भा०दं०सं० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4– बाद कायमी मुकदमा नियमानुसार विवेचना प्रचलित हुयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार की गयी। साक्षीगण का धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान अंकित किया गया। संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्त मो० नाजिम अशर्फी के विरूद्ध धारा–363,366 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– प्रस्तुत सत्र विचारण मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में अभियुक्त **मो० नाजिम अशर्फी** के विरूद्ध धारा–363,366 भा०दं०सं० में दिनांक 18.07.2022

को आरोप विरचित किया गया। आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार करते हुये विचारण की याचना की।

6– प्रस्तुत सत्र विचारण मामले में अभियोजन की ओर से अपने केस को साबित करने के लिये निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया गया–

1.	पी०डब्लू०–01	श्रीमती मुन्नी खातून	वादिनी मुकदमा
2.	पी०डब्लू०–02	पीड़िता	पीड़िता
3.	पी०डब्लू०–03	श्री मनोज कुमार	पीड़िता के स्कूल के प्रधानाध्यापक

7– अभियोजन की ओर से निम्न प्रपत्रों को साबित कराया गया–

1.	लिखित तहरीर कागज संख्या–4 क/3	प्रदर्श क–01	पी०डब्लू०–01 श्रीमती मुन्नी खातून/वादिनी मुकदमा
2.	पत्रावली में संलग्न बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० कागज सं०– 9 क/3	प्रदर्श क–02	पी०डब्लू०–01 श्रीमती मुन्नी खातून/वादिनी मुकदमा
3.	लिफाफा कागज सं०– 13 क	प्रदर्श क–03	पी०डब्लू०–02 पीड़िता
4.	प्रमाण पत्र कागज सं०– 17 क	प्रदर्श क–04	पी०डब्लू०–03 मनोज कुमार
5.	मूल रजिस्टर की प्रमाणित प्रति कागज सं०–15 क/1	प्रदर्श क–05	पी०डब्लू०–03 मनोज कुमार
6.	चिक एफ०आई०आर० कागज सं०– 4 क	प्रदर्श क–06	औपचारिक सत्यतता स्वीकार की गयी।
7.	कायमी जी०डी० कागज सं०–6 क	प्रदर्श क–07	औपचारिक सत्यतता स्वीकार की गयी।
8.	नक्शा–नजरी कागज सं०– 8 क	प्रदर्श क–08	औपचारिक सत्यतता स्वीकार की गयी।
9.	बरामदगी अपहृता व एक नफर अभियुक्त (गिरफ्तारी मेमो)	प्रदर्श क–09	औपचारिक सत्यतता स्वीकार की गयी।
10.	आरोप पत्र कागज सं०– 3 क/1 ता 3 क/3	प्रदर्श क–10	औपचारिक सत्यतता स्वीकार की गयी।

8– अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 01.07.2026 को अंकित किया गया। जिसमें उसने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये कहा है कि उसके ऊपर झूठा मुकदमा चला है।

9– मैंने प्रस्तुत मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सारगर्भित तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया। **10–** उपरोक्त आरोपों को साबित करने के क्रम में अभियोजन

द्वारा परीक्षित साक्षियों ने निम्नलिखित कथन किया है:–

11– अभियोजन द्वारा **मुन्नी खातून** को साक्षी पी०डब्लू०–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना हुये आज से करीब 10 माह हुआ। मेरी बेटी का नाम गुलनाज है। गुलनाज हम लोगों को बताये बिना रिश्तेदारी में मेरी बहन के यहाँ चली गयी थी। नाजिम उर्फ अशर्फी ने मेरी बेटी गुलनाज को बहला–फुसला कर नहीं ले गये थे। जब शाम तक मेरे घर पर नही आई तो हम लोगों ने तलाश किया था और मैं अगल–बगल तथा गाँव में पूछ–ताछ की थी। गाँव के लोग मुझे थाना–सेवरही ले गये और प्रार्थना पत्र लिखकर मेरा निशानी अंगूठा लगाकर थाना पर दिये थे। प्रार्थना पत्र में क्या लिखा गया मुझको जानकारी नहीं है। साक्षी को कागज सं०– 04 क/03 दिखाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने अपने निशानी अंगूठा की पहचान की और उस पर लिखे ईबारत से इन्कार की जिस पर **प्रदर्श–क–01** डाला गया। आगे इस साक्षी ने अपने बयान में यह भी कथन किया है कि मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। मेरा बयान पुलिस ने न्यायालय में कराया था। साक्षी के पत्रावली में संगलग्न बयान धारा 164 दं०प्र०सं० कागज सं० 09 क/3 दिखाया गया तो साक्षी ने उस पर बने अपने निशानी अंगूठा व फोटो की पहचान की और बतायी कि पुलिस वालों के कहने पर मैंने यह बयान न्यायालय में ही की थी। जिस पर **प्रदर्श–क–02** डाला गया। मेरी बेटी गुलनाज गाँव के मदरसे में नहीं पढ़ती थी। पुलिस वालों ने मेरी बेटी गुलनाज को मेरे सामने बसहा रेगुलेटर सेवरही से बरामद नहीं किया था। साक्षी के कागज सं० 10 क/02 दिखाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने इसकी इबारत से इन्कार की तथा उस पर बने अपने निशानी अंगूठा की पहचान की। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मुझ से पूछताछ नहीं किया था। मैंने घटनास्थल दरोगा जी को नहीं दिखाई थी।"

12– अभियोजन की ओर से **गुलनाज** को साक्षी पी०डब्लू०–2 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना हुये आज से करीब 11 माह हुआ। मैं अपने घर वालों को बिना बताये अपने मौसी के घर चली गयी थी। नाजिम उर्फ अर्शफी मुझको बहला–फुसला कर कहीं नहीं ले गये थे। मैं मदरसे में नहीं पढ़ती थी। मैं संजय गाँधी मेमोरियल में पढ़ती थी। मेरी जन्मतिथि मुझे याद नहीं है। मेरी जन्म तिथि 01.07.2009 नहीं है। मैं उस समय सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। मैं मदरसा में नही पढ़ती थी। पुलिस ने मुझको नाजिम के साथ नही पकड़ा था। मैं अपने मौसी के घर से आई थी। मेरे गाँव के लोग ही मेरी मम्मी के साथ थाने पर ले गये थे। गाँव के लोगों के कहने पर मेरी मम्मी ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस वालों ने मेरा डॉक्टरी परीक्षण कराया था। आगे इस साक्षी ने अपने बयान में कथन किया है कि कसया न्यायालय में मैं गई थी, वहाँ पर मेरा बयान हुआ था। संलग्न पत्रावली कागज सं० 13 क लिफाफा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से खोला गया तथा उस पर कागज सं० 16 क/3 डाला गया। संलग्न पत्रावली कागज सं० 16 क/3 साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने बतायी कि यह बयान मेरा न्यायालय में हुआ था। साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर व उस पर लगे अपने फोटो की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श–क–3** डाला गया। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष आगे अपने बयान में कहा कि मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था।"

13– अभियोजन की ओर से **मनोज कुमार** को साक्षी पी०डब्लू०–3 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं सन् 2017 से एजूकेशन मिशन स्कूल सुमही सन्तपही सेवरही में बतौर प्रधानाध्यापक कार्यरत हूँ। प्रस्तुत मामले की पीड़िता गुलनाज मेरे वहाँ दिनांक 29.07.2017 को कक्षा दो में प्रवेश ली थी। मेरे विद्यालय में

पीड़िता कक्षा छः तक पढ़ी है। गुलनाज की जन्मतिथि मेरे स्कूलीय अभिलेखों में 01.07.2009 अंकित है। मामले की विवेचना में मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र खुद के हस्तलेख व हस्ताक्षर में विवेचक को दिया था। प्रमाण–पत्र के साथ मैंने प्रवेश रजिस्टर का क्रम नं० 249 पर गुलनाज के प्रवेश लेने की तिथि व उसकी जन्म तिथि अंकित है। उस पृष्ठ की प्रमाणित प्रति भी विवेचक को दिया है। इस साक्षी को शामिल पत्रावली कागज सं० 17क प्रमाण–पत्र दिखाया गया। देख पढ़कर स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में प्रमाण पत्र के होने की साक्षी ने पहचान की जिस पर **प्रदर्श–क–4** डाला गया। इस साक्षी ने शामिल पत्रावली कागज सं० 15क/1 प्रमाणित प्रति प्रवेश देख कर साक्षी ने स्वयं द्वारा प्रमाणित किये जाने और उससे सम्बन्धित मूल रजिस्टर भी न्यायालय में लेकर उपस्थित होने की तसदीक किया। साक्षी की पहचान पर इस पर **प्रदर्श–क–5** डाला गया। इस ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कथन किया है कि इस सम्बन्ध में विवेचक महोदय ने पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।"

14– प्रस्तुत सत्र विचारण मामले में अभियोजन द्वारा अभियुक्त **मो० नाजिम अशर्फी** पर आरोप है कि– घटना वाले दिनांक 01.07.2026 को समय– 06:00 बजे, बहदग्राम–मदरसा पिपरा अगरवा, थाना–सेवरही, जनपद–कुशीनगर में आप ने वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता का उनके विधिक संरक्षकों की सहमति के बिना विवाह करने के लिये विवश करने के आशय से व्यपहरण किया।

अतः अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर धारा 363 व 366 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप लगाया गया है–

(i). भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 के अनुसार– भारतीय दंड संहिता (IPC) की **धारा 363** अपहरण (Kidnapping) से सम्बन्धित है। यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहाँ किसी व्यक्ति को उसके माता–पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना बहला–फुसलाकर या जबरन ले जाया जाता है।

(ii). भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अनुसार – भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 महिलाओं के अपहरण और व्यपहरण (Kidnapping and Abduction) से सम्बन्धित एक बेहद गंभीर कानून है। यह धारा तब लागू होती है जब किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने या अवैध यौन सम्बन्ध बनाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से अगवा किया जाता है।

15– अभियोजन कथानक को साबित कराने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०–01 के रूप में वादिनी मुकदमा **मुन्नी खातून** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि 'मेरी बेटी हम लोगों को बताये बिना रिश्तेदारी में मेरी बहन के यहाँ चली गयी थी। नाजिम नाजिम उर्फ अशर्फी ने मेरी बेटी गुलनाज को बहला–फुसला कर नहीं ले गये थे। जब शाम तक मेरे घर पर नही आई तो हम लोगों ने तलाश किया था और मैं अगल–बगल तथा गाँव में पूछ–ताछ की थी। गाँव के लोग मुझे थाना–सेवरही ले गये और प्रार्थना पत्र लिखकर मेरा निशानी अंगूठा लगाकर थाना पर दिये थे। प्रार्थना पत्र में क्या लिखा गया मुझको जानकारी नहीं है।' इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–01 मुन्नी खातून जो कि उक्त मामले की वादिनी मुकदमा भी है, ने स्वयं तहरीर प्रदर्श–क–1 में लिखित तथ्यों से इन्कार किया है। अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

16– अभियोजन की ओर से तथ्य के दूसरे साक्षी के रूप में पी०डब्लू०–02 के

रूप में **पीड़िता** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 'मैं अपने घर वालों को बिना बताये अपने मौसी के घर चली गयी थी। नाजिम उर्फ अशर्फी मुझको बहला–फुसलाकर कहीं नही ले गये थे। मैं मदरसा में नहीं पढ़ती थी। मैं संजय गाँधी मेमोरियल में पढ़ती थी। आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि पुलिस ने मुझे नाजिम के साथ नहीं पकड़ा था। मैं अपनी मौसी के घर से आयी थी। मुझे गाँव के लोग ही मेरी मम्मी के साथ थाने पर ले गये थे। गाँव के लोगों के कहने पर मेरी मम्मी ने मुकदमा दर्ज कराया था।' इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–2 जो कि इस मामले की पीड़िता है, ने स्वयं अभियुक्त के साथ घर से भागने के कथन का विरोध किया है। अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया।

17– अभियोजन की ओर से तथ्य के तीसरे साक्षी पी०डब्लू०–03 के रूप में **मनोज कुमार** को परीक्षित कराया गया है जो कि सन् 2017 से एजुकेशन मिशन स्कूल सुमही, सन्तपही, सेवरही में बतौर प्रधानाध्यापक कार्यरत है। इस साक्षी ने कागज सं० 17 क प्रमाण पत्र को प्रदर्श–क–4 एवं कागज सं०–15 क/1 मूल रजिस्टर प्रदर्श–क–5 को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया है।

18– इस प्रकार प्रस्तुत सत्र विचारण मामले में वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी दरखास्त पर लिखे तथ्यों की प्रमाणिकता से इन्कार किया गया है। इसी प्रकार साक्षी सं०–2 पीड़िता ने भी अपने मुख्य परीक्षा के बयान में अभियुक्त के साथ घर से भागने के तथ्य से इन्कार किया है। और इन दोनों साक्षियों ने ही कथन किया है कि 'गाँव के लोगों के कहने पर पीड़िता की मम्मी ने मुकदमा दर्ज कराया था। पी०डब्लू–01 वादिनी मुकदमा ने अपने बयान में यह भी कहा है कि गाँव के लोग उसे थाना सेवरही ले गये और लिखपढ़कर उसका निशानी अंगूठा लगाकर थाना पर दिये थे। प्रार्थना पत्र में क्या लिखकर दिये थे। उसको जानकारी नहीं थी।' उक्त दोनों साक्षियों का यह कथन अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद सिद्ध करता है। इसलिये न्यायालय के मत में अभियोजन के उक्त सभी साक्षियों के बयान से अभियुक्त मोहम्मद नाजिम अशर्फी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है।

19– इसके अतिरिक्त प्रस्तुत सत्र विचारण मामले में तथ्य के साक्षी सं०–01/वादिनी मुकदमा व साक्षी सं०–02/पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक के समर्थन से इन्कार किया है व इन दोनों साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले के वादिनी मुकदमा एवं पीड़िता द्वारा ही स्वयं अभियोजन कथानक को समर्थन प्राप्त नहीं है।

अतः वादिनी मुकदमा पी०डब्लू०–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में तहरीर प्रदर्श क–1 पर लिखे तथ्यों की सत्यता से इन्कार किया है। साक्षी पी०डब्लू०–2/पीड़िता के पक्षद्रोही हो जाने के कारण अभियुक्त की ओर से अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र एवं अन्य प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन न्यायालय के मत में मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लेने के आधार पर अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

20– उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस मत की है कि अभियोजन युक्तियुक्ति सन्देह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक–21.12.2021 को समय–06:00 बजे, बहदग्राम–मदरसा पिपरा अगरवा, थाना–सेवरही, जनपद–कुशीनगर में अभियुक्त मो० नाजिम अशर्फी द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता का

उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना विवाह करने के लिये विवश करने के आशय से व्यपहरण किया गया। अतएव सत्र विचारण संख्या–195/2022, मु०अप०सं०–296/2021, सरकार–बनाम–नाजिम अशर्फी, धारा–363,366 भा०दं०सं०, थाना–सेवरही, जनपद–कुशीनगर के मामले में अभियुक्त **मो० नाजिम अशर्फी** दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र विचारण संख्या– 195/2022, मु०अप०सं०–296/2021, सरकार–बनाम–नाजिम अशर्फी, धारा–363,366 भा०दं०सं०, थाना–सेवरही, जनपद–कुशीनगर के मामले में अभियुक्त **मो० नाजिम अशर्फी** को दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त अपराध के विचारण की अवधि में जमानत पर रहा है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं प्रतिभू पत्र खण्डित किया जाता है। जमानतदारों को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा–437 क दं०प्र०सं० के अन्तर्गत दाखिल की गयी जमानतें अग्रिम छः माह तक प्रभावी रहेंगी।

दिनांक/कुशीनगर।
जुलाई 04, 2026

(किरन गौंड़)
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–II,
कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक/कुशीनगर।
जुलाई 04, 2026

(किरन गौंड़)
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–II,
कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

Digitally signed by KIRAN GOND
Date: 2026.07.06 16:21:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court